affected the supplies to this power station during this year. Supplies were also affected due to payment problems which have recently been resolved.

Import of Soyabean

2172. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government proposes to stop further import of Soyabean in view of the huge stocks; and

(b) if so, the steps taken in that direction.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Soyabean seed appears in the negative list of import, being a canalised item at present, none of the canalising agencies have any proposal to import soyabeen seed.

राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

2173. **श्री राम जेठमलानी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "बिजनैस स्टैंडर्ड" में 'सेन्टर नाट टू फिक्स नेशनल मिनिमम वेज स्ट्रक्चर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर दैनिक मजदूरी की कोई न्यूनतम मात्रा घोषित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस न्यूनतम मजदूरी की राशि कितनी है और इसकी घोषणा कब की गयी थी; और

(घ) क्या सरकार अब इस मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव करती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय स्तर पर दैनिक मजदूरी की कोई भी न्यूनतम धनराशि निर्धारित नहीं की गयी है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने जुलाई, 1991 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि ग्रामीण कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर 1990 के दौरान विद्यमान कीमतों के आधार पर 20/-रु० प्रतिदिन से कम निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि मूल्य सूचकांकों से जुड़ा परिवर्ती घटक भी न्यूनतम मजदूरी का एक भाग होना चाहिए तथा न्यूनतम मजदूरी को दो वर्षों में कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है।

बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार योजनाएं

2174. **श्री रामजीलाल:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख): आठवीं योजना की रोजगार नीति में 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति पाने के लक्ष्य हेतु एक मध्यावधि परिप्रेक्ष्य के भाग के रूप में तैयार की गई है। योजना में अपेक्षाकृत उच्च रोजगार संभाव्यता के तीव्र वृद्धि वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों एवं क्षेत्रों के माध्यम से रोजगार सृजन को तेज करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक विशेष रोजगार कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनमें से मुख्य कार्यक्रम हैं-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), रोजगार आश्वासन योजना (इ ए एस) नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) तथा खादी एवं ग्रामोद्योग (के वी आई सी) की 20 लाख नौकरियों की योजना। 8वीं योजना की सतत रोजगार नीति से 1997-2002 की अवधि तक देश में लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति संभावित है।